सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक नीति
वर्ष 2016 – 2025 (उत्तराखण्ड राज्य)

विषय सूची

अध्याय –1 – प्रस्तावना	
भूमिका	
सामान्य	
राष्ट्रीय उददेश्य	
दृष्टिकोण	
लक्ष्य	
मिशन	
उददेश्य	
अध्याय–2 –कार्यान्वयन रणनीति	
रणनीति प्रेरित करना	
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नीति का कार्यान्वयन	
इलेक्ट्रानिक पद्धति डिजाइन और विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन	
ग्रामीण बीपीओ/केपीओ उद्योग	
डाटा केन्द्र तथा डाटा केन्द्र पार्क	
अध्याय –3 – प्रोत्साहन	
राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक नीति (एनईपी)2012 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन	
क्षेत्रों का विभाजन	
उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन	
वित्तीय प्रोत्साहन	
गैर वित्तीय प्रोत्साहन	
बुनियादी सुविधाओं का समर्थन	
अध्याय–4– अनुश्रवण और निष्पादन	
परिशिष्ट क	

अध्याय –1 – प्रस्तावना

भूमिका

1– भू–मण्डलीय आर्थिकी आधारित ज्ञान को बढ़ाने का मुख्य संचालक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में इसके वर्तमान भू–मण्डलीय स्तर प्रदान करने के लिए भारत की स्थिति और उसकी सक्षमता इसे अंत तक पहुंचाने में सहायक है। विकास और प्रसार के लाभों की पहुंच के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स की नीतियां तथा कार्यक्रम औद्योगिक एवं विकासशील देशों में तैयार की जा रही है।

2– प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स में वृद्धि कर रही है। यह क्षेत्र सामान्य, रणनीतिक और महत्त्वपूर्ण रूप में है। समस्त विकासशील और विकसित देश सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स के महत्त्व को समझ रहे हैं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स के विकास के प्रसार को नीतियों और संयुक्त लोक निजी कार्यक्रमों के द्वारा प्रयोग कर रहे है। विकासशील देशों में भी यह स्थापित हो चुका है कि उद्योगों, संरचनात्मक आधारित आधुनिक्ता और सेवाओं के प्रतियोगी वृद्धि, समूची सूचना की कमी को कम करने और समूचे आर्थिक मूल्यों के व्यवहरण को न्यून करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स की सार्थकता है। ये देश मुख्य क्षेत्रों में जैसे मेक्रो आर्थिकी योजनाओं और निर्णय करने, लोक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देख–रेख, विनिर्माण, वित्त और बैंकिंग, परिवहन, वाणिज्य, प्रकाशन, विद्युत संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स का प्रयोग कर रहे है।

3– भारत में सूचना प्रोद्योगिकी का मुख्य केन्द्र यथा बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे तथा एनसीआर जिनके निकट भारत में कुल सूचना संचार प्रोद्यौगिक उद्योगों के लगभग 90 प्रतिशत अवस्थित है और अग्रेत्तर विस्तार के लिए संरचनात्मक तथा मानव संशाधन बाधाओं की चुनौतियां है। यह आवश्यकताएं भारतीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स के लिए अनन्य कियान्वयन को घटाने के लिए उत्तराखण्ड के शहरों में टियर दो तथा टियर तीन में बदले जाने है। भू–मण्डलीय वातावरण के कम में यह कहना है कि उत्तराखण्ड राज्य में इसे समय से प्रारम्भ किया जाय और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स के महत्त्वपूर्ण लाभों को उसके अधिवासियों को पहुचाने के उददेश्य से शीघ्र कदम उठाने होंगे।

4– शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास, वित्तीय संशाधन, रोजगार सृजन, सुशासन इत्यादि में आने वाले विभिन्न विकासीय चुनौतियों की शाखाओं को प्रोद्यौगिक सक्षमता के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति आर्थिकी में बहुत बडे मामले में दक्षता ला सकती है। उत्तराखण्ड राज्य नीति दो लक्ष्य, राज्य की पहुंच के भीतर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स की पूर्ण शक्ति को लाना और राज्य के मानव संसाधन तथा क्षमता का कवच है जिससे 2025 में सूचना संचार उद्योगी, आईटीईएस तथा इलेक्ट्रानिक विनिर्माण सेवाओं के लिए भू–मण्डलीय/राष्ट्रीय हब तथा गंतव्य के रूप में उत्तराखण्ड को पहुचाया जा सके।

5– सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स नीति राज्य में इलेक्ट्रानिक विनिर्माण इकाईयों के

संस्थापन के लिए निजी सहभागियों में वृद्धि करना और सूचना प्रौद्योगिकी के समाधान उपलब्ध कराना, सभी आर्थिक क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक की तैनाती हो सके। इस नीति का उददेश्य राज्य के भीतर विभिन्न लाभार्थियों की ओर से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहभागिता के माध्यम से कार्रवाई हो।

6– सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रसार के अतिरिक्त भारत सरकार के ओर से जारी ''मेक इन इंडिया के' की छत्री के अधीन राज्य के भीतर इलेक्ट्रानिक विनिर्माण इकाईयों को संस्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इससे वर्तमान में पूर्व नियार्तित होने वाली विभिन्न घटकों के मूल्य में कमी आ सकेगी। इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग इलेक्ट्रानिक्स पद्धति आरेखण तथा विनिर्माण जिसमें सेमी कंन्डकटर डिजाईन, उच्च स्तरीय विनिर्माण, इलेक्ट्रानिक घटक, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक उत्पाद के लिए इलेक्ट्रानिक पद्धति डिजाईन, टेलीकॉम उत्पाद तथा उपस्कर, संचार प्रौद्योगिकी पद्धति तथा हार्डवेयर से संरचित होगी। इलेक्ट्रानिक उद्योग विश्व में सबसे बड़ी और सबसे तीव्र वृद्धि वाली विनिर्माण उद्योग है जिसमें यूएसडी 1.75 ट्रिलियन बतायी गई है। इसके वर्ष 2020 तक यूएसडी 2. 4 ट्रिलियन पहुंचने की सम्भावना है।

7– मुख्य लाभांशी– मुख्य लाभांशी राज्य में केवल आई0टी0 विभाग (आई0टी0डी0ए0/आई0टी0 निदेशालय तथा एस0ई0एम0टी0 सहित) ही नही है वरन् पुलिस विभाग, विभिन्न संगठनों के उद्योग प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा के अधीन सभी संस्थाएं/विश्वविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा विभाग और राज्य के नागरिक भी सम्मिलित है।

8– राज्य की एम0एस0एम0ई0 नीति के अनुसार राज्य को चार भागों में विभक्त किया गया है जिसे धारा 3 में उल्लिखित किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स संरचना के विस्तार के उददेश्य से प्रस्तावित प्रोत्साहन बल प्रदान करेंगे।

सामान्य

9– उत्तराखण्ड जब वह उत्तरी उत्तर प्रदेश का भाग था जब उत्तराखण्ड राज्य का गठन दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को हुआ था। हिमालयन पर्वत श्रंखला के तलहटी पर इसका अधिकतर भू–भाग स्थित है, इसकी जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1.08 करोड है और भौगोलिक आकार में इसकी परिधि 53483 वर्ग मीटर है, जिसमें से लगभग 88 प्रतिशत भू–भाग पर्वतीय क्षेत्र का है। राज्य में प्राकृतिक स्रोतों का भण्डार है जिसमें विशेषकर जल और जंगल जिसमें ग्लेशियर, नदियां, जंगल और पर्वत चोटियां है। यह वास्तव में देवभूमि है।

10– उत्तराखण्ड सरकार इसके नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स की पूर्ण शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव किया है जिससे समाज में तेजी और आर्थिक विकास लाने, सरकार के निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, विभिन्न उपभोगताओं के मध्य दक्षता के माध्यम से आदर्श ईसोसाईटी माडल को सभी प्रकार से नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिक तकनीकी को तेजी से अंगीकार करने, रोजगार का सृजन करने, मूल्य को प्रभावी करने, सूचना का जाल बिछाने, ईको के प्रति सजग रहने और वर्ष दर वर्ष इसके उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक पद्धति आरेखण और विर्निमाण में यह क्षेत्र तेजी से बढ रहा है। राष्टीय इलेक्ट्रानिक नीति, 2012 के अनुसार वर्ष 2020 तक इसमें 400 बिलियन डालर की बढोतरी होने की सम्भावना है और इससे लगभग 28 मिलियन कुल

रोजगार सृजित होंगे।

11– इस अभिलेख का यह उददेश्य है कि सभी संदर्भों में राज्य में सभी उन्नति की प्राप्ति के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स के प्रबंधन और प्रभावी कार्यक्रम के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराना है। इस नीति के अभिलेख उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति, 2015 एवं उत्तराखण्ड मेगा औद्योगिक एवं विनिवेश नीति, 2015 के विस्तारित अभिलेख होगें।

12– राज्य के भीतर की गई उन्नति के पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात इस नीति अभिलेख को पुनर्विलोकित किया जायेगा और उसके पश्चात उसमें आवश्यक संशोधन किये जायेगे। यहां पर यह भी कहना है कि सम्पूर्ण राज्यों और भारत के केन्द्रशासित प्रदेशों की तुलना में और श्रेणी, की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को तैयार रखने विभिन्न पहलुओं की रिपोर्ट को राष्टीय स्तर पर तैयार करने के लिए सम्बंधित विभिन्न ई–शासन सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए राज्य द्वारा उसके उन्नयन के सम्बंध में त्रेमासिक आधार पर एनईजीडी की अनुपालन करेगी। सभी विभागों से यह अनुरोध है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए उससे सम्बंधित विभागों के भीतर विभिन्न सूचना प्रोद्योगिकी तकनीकी से सम्बंधित कार्यों का अनुश्रवण करेगें।

राष्ट्रीय उददेश्य

13–यह अनिवार्य है कि राज्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स नीति के मामले में राष्ट्रीय नीतियों के साथ संपर्क बनाये रखें। इस दृष्टिकोण से सूचना प्रौद्योगिकी 2012 (एनपीआईटी 2012), ईएसडीएम पर राष्ट्रीय नीति 2012, राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक नीति, 2012 (एनईपी 2012) और राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति, 2012 (एनटीपी 2012) को इस अभिलेख में सम्मिलित किया गया है और निम्नवत संक्षेप में प्रस्तुत है–

क. वर्तमान 100 बिलियन को 300 बिलियन यूएस डालर तक सूचना प्रोद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक के राजस्व को बढोतरी करने के लिए, व निर्यात 69 विलियन से बढ़ाकर वर्ष 2020 में 200 बिलियन यू. एस. डालर करना।

ख. उभरती प्रौद्योगिकियों और सेवाओं में महत्त्वपूर्ण वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए,

ग. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में आर एण्ड डी एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए,

घ. महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनकी प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता में सुधार के लिए आईसीटी को अभिग्रहण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए,

ड. मूल्य सृजन में आई.टी के अभिग्रहण के लिए एसएमई और स्टॉरटअप के लिए चालू वित्त वर्ष में लाभ प्रदान करने के लिए,

च. 10 मिलियन आईसीटी में अतिरिक्त कुशल जनशक्ति का पूल बनाने के लिए,

छ. प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को ई–साक्षर बनाने हेतु। उत्तराखण्ड राज्य में सभी निवासियों को ई–साक्षर बनाने के लिए 2025 तक प्रयास करेंगे।

ज. इलेक्ट्रानिक मोड में सभी सर्वजानिक सेवाओं के लिए अनिवार्य वितरण और किफायती उपयोग प्रदान करने के लिए,

झ. सरकार में और विशेष रूप से पारदर्शिता, जवाबदेही, क्षमता, विश्वसनीयता और विकेंद्रीकरण को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में,

ञ. शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और वित्तीय सेवा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र की पहल के लिए आईसीटी का लाभ उठाने, इक्विटी और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए,

ट. भाषा प्रौद्योगिकी के विकास हेतु भारत वैश्विक हब बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और समस्त भारतीय भाषाओं में सुलभ सामग्री के विकास की सुविधा तथा इस तरह के डिजीटल डिवाईस से मदद करने के लिए,

ठ. समावेशी विकास को बढ़ावा के लिए अलग विकलांग लोगों द्वारा सामग्री और आईसीटी अपनुप्रयोगी के उपयोग को सक्षम करने के लिए,

ड. कर्मचारियों की सख्या का विस्तार और जीवन भर खीखने को सक्षम करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए,

ढ. एक सुरक्षित और कानूनी तौर पर शिकायत साइबरस्पेस पारिस्थितिकी यंत्र सुनशिचित हेतु नियामक और सुरक्षा ढांचे को सुदृढ करने के लिए,

ण. खुले मानकों को अपनाने और खुले स्रोत तथा खुले प्रौद्योगिकी को बढावा देने के लिए,

त. देश में एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा ईएसडीम क्षेत्र के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए 2020 में विभिन्न स्तरों पर लगभग 28 लाख लोगों के लिए यूएसडी 100 विलियन का निवेश और रोजगार को शामिल करके 400 विलियन यूएसडी के करोबार को हासिल करने के लिए,

थ. वर्ष 2020 तक यूएस डालर 55 विलियन के कुल वार्षिक आय व्यय को प्राप्त करने, अन्य उन्नत तकनीकी क्षेत्रों तथा चिप डिजाईन, बहुत बड़ी मात्रा में एकीकरण में भू–मण्डलीय नेतृत्व प्राप्त करने के लिए साफ्टवेयर उद्योग को स्थापित करने और आकस्मिक चिप डिजाईन को तैयार करने के लिए,

द. वर्ष 2020 तक 60 प्रतिशत से अधिक वर्तमान 20से 25 प्रतिशत को बृद्धि करने के लिए इन पहलुओं के वास्तविक उपलब्धता को तैयार करने के लिए कच्चे माल, भाग और इलेक्ट्रानिक घटकों को क्रमबद्ध रूप से मजबूती से आपूर्ति के लिए तैयार करने हेतु,

ध. वर्ष 2020 तक 5.5 विलियन यूएस डालर से 80 विलियन यूएस डालर तक इएसडीम के भाग में निर्यात में बढोतरी करेन के लिए,

न. ईएसडीएम क्षेत्र में अच्छी मानव शक्ति की उपलब्धता के लिए विशिष्ट लोगों का चयन करने, सम्बंधित विषय में स्नातक डिग्री को देने के लिए विशेष ध्यान आकर्षित करने तथा वर्ष 2020 तक लगभग 2500 शोद्यार्थियों को तैयार करने के लिए।

दृष्टिकोण

14– समावेशी विकास के साथ उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास के लिए एक वाहन के रूप में आईसीटी और ई का उपयोग करने के लिए जीवन की उच्च गुणवत्ता के साथ एक जीवंत समाज बनाने के लिए।

लक्ष्य

15– उत्तराखण्ड राज्य को पूर्णतया डिजीटाइज्ड और नेटवर्क समाज बनाने के लिए जहां राज्य के आर्थिक विकास सम्भव हो सके, हेतु प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी संरचना के माध्यम से समाज के सभी वर्गों की पहुंच तक उपलब्ध होने तथा सूचना की प्रवाह हो, को तैयार करना है।

16– **रोजगार सृजन**– (राष्ट्रीय औसत से अधिक) 78.82 प्रतिशत की शुद्ध उच्चतर शैक्षणिक दर को दिये जाने, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स को बढ़ावा देते हुए बेरोजगारी को कम करने के सरकार के उद्देश्य तथा उत्तराखण्ड में उनके उपक्रमों को स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रानिक विनिर्माण उपलब्ध कराना है।

17– राज्य के लिए मुख्य बढोतरी के रूप में इलेक्ट्रानिक्स तथा इलेक्ट्रानिक पद्धति आरेखण एवं विनिर्माण उद्योगों में विनिवेश हेतु उत्तराखण्ड राज्य अत्यधिक प्राथमिकता देने वाला राज्य है।

मिशन

18– इस नीति का मिशन है कि –

क. भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स को आकर्षित करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति,

ख. उत्राखण्ड के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स की उपलब्धि के लिए मुख्य साधन बनाने,

ग. सहयुक्त समुदायों को भौतिक समुदायों में बदलने के लिए जिससे कि वास्तविक आर्थिक उन्नति तथा जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार हो सके।

उददेश्य

19–अनुकूल उद्योग मित्रता और सक्रिया वातावरण देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेट्रानिक कम्पनिनियों के लिए आकस्मिक विनिवेश प्रक्रिया के रूप में उन्नयन करना,

20– राज्य में संरचनात्मक कला के अधिष्ठापन राज्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी इलैकटानिक स्थल के रूप में राज्य के शहरों / कस्बों में अनुकूल वातावरण तैयार करना। राज्य के भीतर एकल खिडकी सहायता उपलब्ध कराने के माध्यम से इसकी पूर्ति की जायेगी।

21– किसी स्थल पर निर्वाद संयोजन उपलब्ध कराने के रूप में विश्व स्तरीय सूचना और प्रौद्योगिकी संरचना सृजन हेतु व्यापारियें और उपभोक्ताओं, सूचना प्रौद्योगिकी संचालकों के जीवंत इको–पद्धति की संरचना में लोक और निजी सेवाओं के उपयोग को आसान करने, सेवा उपलबध कराने वाले, सरकार, संचालन और इसके अंतिम उपभोकता ओ उपलबध कराना। राज्य सरकार पीपीपी माडॅल पर इलेक्टानिक विर्निमाण कलस्टर (ईएमसीएस) को स्थापित करने की योजना बनाना,

22– इस उद्योग में रोजगार के लिए उन्हें नियोजित करने के रूप में युवाओं के शक्ति और ज्ञान उपलबध कराने की दृष्टि से स्कूल, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में तेजी लाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलैक्टानिक उद्योग हेतु अपेक्षित विकसित मानव शक्ति और उसका उन्नयन,

23– सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सहयोगी पद्धति निर्णय और प्रबंधन के लिए यंत्र के रूप में दिया जाना ही नही है वरन् नागरिकों को अधिक उपयोगिता, पारदर्शी, उत्तरदायी और जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार की प्रक्रिया में पुनर्निर्माण भी है। उत्तराखण्ड की सरकार इसके सभी कृत्यों

में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुपालन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए,

24– सूचना प्रोद्योगिकी के मामले को उपभोकता तक आसान पहुंच बनाये जाने के लिए राज्य के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता की उन्नति करना,

25– राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्टानिक के उन्नयन के लिए जीडीपी संचालन के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स प्रयोग के लिए युवायों हेतु रोजगार सृजन के दृष्टिग्त सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स स्थल के रूप में आकर्षित करने के लिए इस क्षेत्र को आय क्षमता को बढाने तथा साथ ही साथ इस क्षेत्र में धेरेलू राजस्व मात्रा कोनिर्यात करने के लिए,

26– ईएसडीएम के सम्पूर्ण मूल्यांकन क्रम में अनुकूल विनिवेश मित्रता सम्बंध को सृजित करने के माध्यम से इलेक्ट्रानिक के स्वेदेशी विनिर्माण को प्रोन्नत करना,

27– राज्य में आरएनडी के जीवंत इको पद्धति के विकास को प्रोनन्त करने के लिए, आरेखण और इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रानिक के आविष्कार करने के लिए इसमें अनिवार्यता महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार द्वारा उसके भीतर किया जाना,

28– राज्य के भीतर प्रति वर्ष राज्य के अधिवासियों को 8000 से 10000 तक के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन का लक्ष्य,

29– वर्ष 2019 तक 15000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने और ईएसडीएम के क्षेत्र में बौद्धिक विकास में राष्टीय नीति के अधीन आवंटित रिक्तियों का उपयोग सुनिश्चित किया जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति के लागू होने /विस्तारित करने पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उस पर आधारित होगी।

अध्याय–2 –कार्यान्वयन रणनीति

रणनीति प्रेरित करना

1– यहां प्रेरणा के 6 रणनीतियां है जिसके तीन स्तम्भ तीन भूमिकाओं द्वारा सहयोजित है। तीन स्तम्भों में आर्थिक व्यवहरण, लोक शक्ति और प्रबंधन तथा आविष्कार सम्मिलित है जिसमें संरचना विकास, मानव विनिवेश विकास और डिजिटल भाग सम्मिलित करते हुए मजबूत इरादे सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है। यह सभी 6 प्रेरणाएं उत्तराखण्ड राज्य के लिए बढोतरी हेतु इंजन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिक के आकस्मिक नेतृत्व करेंगे। भारत में अत्यधिक वरिय सूचना प्रौद्योगिकी ओर इलेक्ट्रानिक स्थल के रूप में उत्तराखण्ड की मान्यता तथा राज्य के अधिवासियों के लिए उनके जीवन की गुणवतत्ता के सुधार में परिणाम के अनुरूप कार्य करना है। राज्य सरकार देहरादून में विद्यमान आईटी पार्क के अतिरिक्त द्वितीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा की स्थापना करने की परियोजना भी बना रहा है। उत्तराखण्ड की सरकार राज्य में ठंडे मौसम की स्थिति को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में डाटा सेंटर कलस्टर को स्थापित करने की योजना बना रही है। सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा हब तथा डाटा सेंटर कलस्टर आगामी दो वर्षों के भीतर स्थापित करने की योजना है और इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शासित किया जायेगा।

2– **आईटी बजट का निर्धारण**: राज्य के सभी विभाग सूचना प्रौद्योगिकी संरचना के सृजन और बढावे के लिए उसके वार्षिक बजट का एक निश्चित प्रतिशत सुरक्षित रखेंगी।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नीति का कार्यान्वयन

3– आईसीटी के माध्यम से सुशासन

क. इस तथ्य को मान्यता देते हुए कि लोगों, प्रकियाओं तथा प्रौद्योगिकी के संयुक्त प्रभाव का संयुक्त प्रभाव मुख्य रूप से सुशासन है, उत्तराखण्ड की सरकार सैद्वान्तिक प्रशासनिक प्रकियाओं लोगों की समस्याओं को सरल बनाने और सरकार के साथ व्यवहरण के द्वारा प्रौद्योगिकी सहयोग से राज्य के विकास के लिए कार्य करेगी और आईसीटी के प्रभावी प्रयोग में लोगों के मध्य समुचित कौशल का निर्माण करेगी। राज्य उसके नागरिकों के संशक्ता के लिए यंत्र के रूप में सूचना का प्रयोग करेगी।

ख. जैसा कि राज्य में कारपोरेट, सहयोग और विभिन्न विभागों के मध्य समेकित सूचनाओं और उसके केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार का एक लक्ष्य निर्धारित है जिससे कि नागरिकों, व्यापार और अन्य सरकारी विभागों को त्वरित रूप से सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता दिये जाने हेतु एक रीति जिससे कि विभिन्न विभागों के मध्य विभिन्न अंतसम्बंधी सेवाओं की सरकारी प्रक्रियाओं और समेकन को सरल किया जा सके।

ग. सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2018 तक इलेक्टानिक रीति के माध्यम से नागरिक केन्द्रियक सेवाओं के अधिकतर मामले उपलब्ध कर दिये जाय। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य ई–डिस्टिक और अन्य रीति के परियोजनाओं को खडा करेगी जो कि मार्ग में उपलब्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी एक एकल पोर्टल से इन परियोजनाओं के माध्यम से नागरिक केन्द्रियक सेवाओं की पारदर्शिता

और दक्षता को प्राप्त किया जाय।

घ. सरकार का लक्ष्य वर्ष 2018 के अंत तक सभी आंतरिक सरकारी प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड किया जाना है। इस समय सरकार की योजना पेपर मुक्त होना है। सभी सरकारी विभागों में ईआरपी पद्वति जिसमें एचआरएमएस, ईआफिस, ईफाइल सम्मिलित है, कियान्वित होंगी। इस प्रयोजन के लिए सभी अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर/ईहस्ताक्षर उपलबब्ध कराये जायेंगे।

ड. सुरक्षित मीडिया पर जहां नागरिक व्यक्तिगत अभिलेख सुरक्षित कर सकता है, में डिजिटल लाकर के प्रयोग करने को बढावा दिया जायेगा और प्रमाणित अभिलेखों के प्रस्तुत करने के अपेक्षा जहां अपेक्षित हो, विभिन्न अभिकरणों के साथ उसे सहभागी या उसी अनुरूप किया जा सकेगा। यह प्रकिया उन सभी सरकारी अधिकारियों पर लागू होगी जो इस सुविधा को प्रयोग करने के लिए बढावा देगा।

च. ई–गवर्नेंश के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य यह विश्वास करता है कि वह अपने नागरिकों को कोई सरकारी सेवा किसी भी समय, किसी स्थान पर प्रदान कर सकता है। विकल्प नागरिकों का होगा न कि सरकारी विभागों का। राज्य सीएससी/ईटरनेट के माध्यम से ऐसी सेवाओं को उसके प्रशिक्षण कर्ताओं द्वारा अधिरोपित प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से कर सकेगा।

छ. राज्य सरकार की समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सर्वोत्तम औद्योगिक व्यवहारों और निर्देशों के आधार पर नये सृजन प्रौद्योगिकी आत्मक्षात करने की योजना है। राज्य सरकार बहुमूल्य आंकडों के होने की बावत् जोखिम घटाने के लिए सरकार के सभी विभागों के भीतर साईबर अनुशासन स्थापित करेगी।

ज. विशेष जोर उपयोगकर्ता को प्ररूप या रीति से प्रौद्योगिकी मामलों के साथ बडी मात्रा में समाज को जोडने के लिए आसान और सुविधाजनक होगा। यंत्रों को चुनने के लिए कम्प्यूटर्स, टेलीफोन्स, डिजिटल टीवी, मोबाईल यंत्र, किओस्क, वैयक्तिक डिजिटल सहायता इत्यादि को सहयोगी व्यवहरण की यंत्र उपयोगिता के अध्यधीन रहते हुए आनलाईन पहुंच की सुविधा को सृजित और संरचनात्मक सहयोग के लिए विचार किया जायेगा। राज्य योजना निम्नलिखित मामलों पर कार्य करेगी–

एक– नागरिकों को यंत्रों (इंटरनेट/ब्राडबैण्ड की पर्याप्त पहुंच) के लिए केन्द्रीय सरकारों के अभिकरण, बैकिंग/ वित्तीय अधिष्ठान और एनजीओ से समन्वय करना;

दो– सरकारी अधिकारियों और संबंधित सूचनाओं को नागरिकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के कम में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सामान्य सेवा केन्द्रीय योजना के माध्यम से सभी ग्रामों में सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित कर रही है। ये सामान्य सेवा केन्द्र सरकार और उसके विभिन्न कार्यालयों को सामान्य पहुंच बिन्दु के रूप में सेवाएं देगी;

तीन– सरकार विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभार्थियों के केन्द्रीय उत्तरदाता के रूप में सभी अन्य आवेदककर्ताओं द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी राज्य अधिवासियों के डाटा आधारित परियोजना को तैयार किया जायेगा। यह आंकडे अभिप्रमाणन और उसकी दो बार की सेवाओं को रोकने में आधार को संयोजित किया जायेगा। यह आंकडे सरकारी योजनाओं में बाह्यस्राव को रोकने में मदद करेगा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के मामले में निर्णय लिये जाने पर भी सहयोग करेगा। यद्यपि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ–साथ मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी

व्यक्तियों के आंकडे गोपनीय रखने के लिए कार्य करेगा। प्रारम्भ मे निम्नलिखित विभाग आधार से जुडे जायंगे–

- समाज कल्याण विभाग
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- शहरी विकास विभाग
- विद्यालयी शिक्षा विभाग
- उच्च शिक्षा विभाग
- तकनीकी शिक्षा विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- राजस्व विभाग
- सेवायोजन विभाग

झ. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नागरिकों को उनकी सेवाओं को दिए जाने की गति प्रदान करने के उददेश्य से इन विभागों के आंतरिक सक्षमता को सुधारने हेतु अवसरों को चिन्हांकित करने हेतु राज्य में अन्य विभागों के साथ निकटता से कार्य करेगा।

ञ. पर्वतीय जिलों के लिए कठिन पर्वतीय क्षेत्र में प्रशिक्षण दिए जाने के कम में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और स्वास्थय देखभाल सेवाओं को प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति आईसीटी सम्भाल सकेगा। आईसीटी आपदा प्रबंधन विभाग को भी मजबूत करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा।

4– प्रभावी आईसीटी संरचना का निर्माण

क. राष्ट्रीय आईसीटी नीतियों का समर्थन

एक– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के ई–गवर्नेन्श योजना के अधीन विभिन्न प्रोत्साहन केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसरण में स्वान, सीएससी, एसडीसी इत्यादि से सहयोग करेगा। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहयोग के अतिरिक्त, अतिरिक्त विनिर्माण के आवश्यकता पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

दो– स्वानः संबंधित ब्लाक मुख्यालय/तहसील मुख्यालय तथा सभी 13 जिलों मुख्यालयों के साथ राज्य मुख्यालय से सम्बंधित स्थानों में यह प्रभावी है।

तीन–सीएससीः – वहन योग्य मूल्य पर नागरिकों के द्वार पर समेकित रूप से सभी सरकारी सेवाओं को उपलब्ध करने के दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्श योजना तैयार की थी। सामान्य सेवा केन्द्रों, आईसीटी सक्षम केन्द्रों के अधीन सभी जिलों को आच्छादित करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण भारत में सूचना और सेवाओं को किसी भी समय किसी भी स्थान पर वैबसाइट के माध्यम से पहुंचाने के लिए सृजित किया जायेगा।

चार– एसडीसीः– जीटूसी और जीटूबी की इलेक्ट्रानिक प्रदाता को सेवाओं के समेकन, आवेदन और संरचना उपलब्ध करायी जायेगी। यह सभी सरकारी विभागों के आंकडों, आवेदन सेवाओं, बैब

सरबर और मेल सरबर पर रखी जा सकेगी। आईटी पार्क, देहरादून में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी भवन में राज्य का एसडीसी अवस्थित किया जाएगा।

ख. प्रौद्योगिकी– वास्तुकला और मानक

एक– 24 × 7 गुणवत्ता की सेवाओं के माध्यम से प्रभावी पीपीपी मॉडल सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सृजन और सेवाओं को प्रदान किए जाने तथा अवरोध मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए अभिप्रमाणन और भुगतान सेवाओं, नेटवर्क प्रदाताओं, संरचनात्मक प्रबंधन सेवाओं के रूप में सेवा लेने वाले, सरकारी सेवाएं और अन्य तृतीय पक्षकार की सेवाओं के रूप में सेवा सृजन और उसके प्रदान किए जाने के लिए विभिन्न कार्यों में भूमिका दिए जाने के लिए सम्यक मान्यता देने हेतु ई–गवर्नेंश वास्तुकला को विकसित करना है।

दो– केन्द्र द्वारा आत्मक्षात किए जाने वाले कार्य पर आधारित राज्य भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यथासंस्तुत आंकडे और महाआंकडे आपसी आदान प्रदान से सम्बंधित उनके ई–गवर्नेंश मानकों को बाध्यकारी रूप से जैसा और जहां यह मानक जारी किए जाय, अनुसरण और लागू करेगा।

तीन– उत्तराखण्ड सरकार तकनीकी दृष्टिकोण से तटस्थ है किन्तु उसके एकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि किसी साफ्टवेयर पर उसके मानकों का आधार तथा उसके आंतरिक मानक परिभाषित हों। इसलिए उत्तराखण्ड की सरकार पारदर्शी मानकों पर कार्य करेगी।

चार– सरकार किसी प्रौद्योगिकी/वेन्डर स्थल के होने वाले निशुल्क आवश्यकता को मान्यता देने तथा प्रौद्योगिकी और वेन्डर को आपस में मिलाते हुए आगे बढाने के लिए इन वेन्डर/सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहयोग करेगी। यह नये प्रौद्योगिकी को लाने में आवश्यक कदम उपलबध करायेगा। यह योजना नागरिकों के लिए सेवाओं के देने में निजी सहभागिता के लिए तत्पर है।

ग. नेटवर्क/ संचार संरचना

एक– तारतम्यता के सृजन में ई–गवर्नेन्स प्रारम्भ करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। स्वान राज्य के बाहर तारतम्यता के लिए पूर्व से स्थान रखती है। स्वान के दिशा निर्देश और केन्द्र के सहयोग से संचार संरचना के लाभ को पूर्ण रूप से उपयोग में लिया जायेगा। सरकार अन्य लोक और निजी नेटवर्क को प्रदूषण मुक्त किए जाने के लिए बैण्ड विथ उपलब्धता को सृजित करके बढायेगी और प्रतियोगिता के माध्यम से मूल्यों को सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगी।

दो– स्वान के अधीन ऊर्ध्वाकार संयोजिक्ता के माध्यम से राज्य का सभी सरकारी विभागों को संयोजिक्ता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

तीन– राज्य का भारत सरकार की परियोजना एनओएफएन के कियान्वयन के माध्यम से 2017 के अंत तक ग्राम पंचायत स्तर पर संयोजिक्ता प्रदान करने का लक्ष्य है। राज्य योजनाओं के लिए अपेक्षित समयवद्ध अनुमोदन और अन्य कोई आवश्यकता उपलब्ध कराते हुए इस परियोजना के तीब्र गति से कियान्वयन में सहयोग देगी।

चार– राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य चरणवद्ध रीति से राज्य के पर्यटक/तीर्थ स्थानों पर निःशुल्क वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

घ. मोबाईल संचार : प्रौद्योगिकी के विकास, आकडों की खपत की मात्रा, टेली स्थल की बढोतरी तथा स्मार्ट फोन के बडी संख्या में बढोतरी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिक मात्रा में टावर्स को स्थापित किया जाना आवश्यक है। किसी मोबाईल नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर की संख्या की अपेक्षा होती है और इनके न होने पर मोबाइल आच्छादन में कमी, सेवाओं में न्यूनता, न्यून इंटरनेट गति और कॉलड्रॉप जैसी समस्याएं आती है। उत्तराखण्ड राज्य का दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्र मोबाइल संयोजिता से अभी आच्छादित नही है जिसके कारण इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इसकी सुविधा से बंचित होना पड़ता है। राज्य सरकार इसके लिए सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन देगी। राज्य सरकार सरकारी विभागों को भी इस हेतु प्रोत्साहित करेगी। सरकार मोबाइल टावर की स्थापना के लिए सरकारी भवनों और भूमि का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

5– मानव कौशल विकास

क. आईसीटी के क्षेत्र में राज्य सरकार कौशल विकास के लिए विशेष रूप से युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, औद्योगिक कर्मचारियों, ग्रामीण समुदायों जिसमें महिलाएं सम्मिलित है, को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए नागरिकों की क्षमता का निर्माण – रोजगार अवसर के सृजन हेतु शक्ति प्रदान करना है।

ख. सक्षमता निर्माण प्रयोग के भाग के रूप में उत्तराखण्ड की सरकार का वास्तविक कम्प्यूटर/डिजिटल जानकारी प्रदान किया जाना उसका उददेश्य है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड की सरकार राज्य के सभी विद्यालयों में डिजिटीलाइजेशन की प्रकिया को बढाना चाहती है। विभिन्न अन्य मामले रूसा और रमसा के अधीन कम्प्यूटर/डिजिटल ज्ञान के कियान्वयन को बढाना चाहती है। राज्य विद्यमान औद्योगिक संस्थानों, पालिटेक्निक संस्थाओं और सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्टानिक्स उद्योग के साथ उत्तोलन करना चाहेगी।

ग. राज्य विद्यमान तकनीकी संस्थाओं और निजी फामर्स उत्तोलन करेगी और आर तथा डी प्रयास से समन्यवय स्थापित करेगी जिससे कि आम जनमानस को लाभ हो।

घ. (राज्य सरकार के विद्यालयों/महाविद्यालयों) से उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक छात्रों से समुचित आईसीटी कौशल की अपेक्षा की जानी चाहिए। आईसीटी आन्दोलन, स्कूल और विद्यालयों में तेज गति के प्रभाव के दृष्टिग्त उनके जीवन वृत्त में इन्हें शामिल करने के लिए प्रेरणा दी जायेगी।

ड. सरकार के भीतर सक्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय ई–गवर्नेश योजना के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर आधारित होगा। इसमें प्रोग्राम प्रबंधन, व्यापार प्रकिया अभियंत्रणीय, प्रबंधन परिवर्तन, वास्तुकला आरेखण इत्यादि के रूप में विभिन्न कौशल स्तरों के लिए वाह्यस्रोतों और आंतरिक स्रोतों को सम्मिलित किया जायेगा। विभिन्न विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से ई–गवर्नेश के संचालन के लिए कार्यवाही की जायेगी और सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों के लिए अधिक योजनाबद्ध तरीको से प्रशिक्षण दिया जायेगा। उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के लिए राज्य में नेतृत्व विकास हेतु सेमिनार का आयोजन किया

जायेगा जिससे आईसीटी के बारे में जागरूकता लायी जा सकेगी जिससे वह प्रत्येक प्रश्न पर सामान्य लक्ष्य प्राप्त कर सके।

च. प्रत्येक नये सरकारी अधिकारी को प्रथम वर्ष में आईसीटी पर 15 दिनों की बाध्यकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इन पाठयक्रमों में मध्यम स्तरीय कम्प्यूटर ज्ञान प्रशिक्षण, तीन दिनों का पुनः पाठयक्रम, प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर उक्तवत सहित पाठयक्रम होंगे। विद्यमान अधिकारियों को ऐसे प्रशिक्षण साधनों के साथ सभी को प्रशिक्षित कराने के लिए प्रबंध किया जायेगा।

छ. एटीआई और अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान ऐसे प्रशिक्षण के लिए सुदृढ/विकसित किए जाएगें।

ज. राज्य योजना यह है कि विभिन्न विभागों में उसके सूचना प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करने के लिए वास्तविक सूचना प्रौद्योगिकी वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी वर्ग के भाग के रूप में ई–गवर्नेंस/सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना तथा सूचना प्रौद्योगिकी सर्वोच्चता के रूप में कृत्य कर सकेगी। यह विभाग अथवा जिलाधिकारी (यदि वह जिले स्तर का अधिकारी है) के साथ–साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भी सूचना देगा। यह अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को प्रदान करेंगे जिससे कि सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के समस्त मामलों को देखने के योग्य हो सके।

6– **सुरक्षा:**

क. सरकार स्मार्ट कार्ड और बायोमैट्रिक्स का प्रयोग करने के लिए बहुत से स्थानों पर बढावा दे रही है, यथा बैंकिंग, फुटकर भुगतान, बाहन रजिस्टीकरण, इंटरनेट भुगतान, नागरिक चिन्हांकन, राशनकार्ड, पेंशन, डाईविंग अनुज्ञा, स्वास्थ्य रिपोर्ट इत्यादि।

ख. सरकार डिजिटल लाकर, डिजिटल प्रमाणन के प्रयोग को बढावा देगी और विद्यमान प्रमाणन प्राधिकारियों तथा सेवा प्रदाताओं और सामान्य प्रयोग के लिए वहन युक्त मूल्यों को ध्यान में रखते हुए चिन्हांकन करेगी।

ग. उत्तराखण्ड की सरकार शून्य साफ्टवेयर पाईरेसी सरकार को बनाये जाने का आशय रखती है।

7– **सूचना प्रौद्योगिकी अनुकूलन और आकर्षित ज्ञान उद्योगों के माध्यम से औद्योगिक विकास में तेजी लाना:**

क. राज्य की आर्थिक बढोतरी स्वमूल्य व्यापार/औद्योगिक गतिविधि तथा प्राकृतिक स्रोतों की बहुत बडी मात्रा में उपलब्धता है। राज्य का अधिकांश भाग सेवा क्षेत्र से वर्तमान जीडीपी आती है जो कि राज्य को सेवा प्रदाता आर्थिकी बनाती है। जीडीपी के लिए मुख्यतया पर्यटन, कृषि, औद्यानिक, चिकित्सा/ हर्बल सम्पदा तथा जल विद्युत सम्मिलित है।

ख. सरकार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्यान में निजी निवेशकर्ताओं से उन्नयन करना चाहती है और पीपीपी रीति के अधीन निजी निवेशकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कलस्टर की सुविधा और बढाने का विकल्प रखती है। इन कलस्टरों के लिए भूमि राजस्व अंशदायी योजना पर

छूट दरों पर उपलब्ध करायेगी।

इलेक्ट्रानिक पद्धति डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम)नीति का कियान्वयन

8– **संरचनात्मक विकासः** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और उद्योग जिसमें उद्योग संगठन के लोग सम्मिलित होंगे, के सदस्यों से एक समिति का गठन किया जायेगा जो संरचनात्मक पहल की प्रगति को देखेगी। सिडकुल के परामर्श से राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विनिर्माण कलस्टरों के विकास के लिए समुचित स्थलों का चिन्हांकन करेगी। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सिडकुल के परामर्श से निजी उद्योगों को उनकी अपेक्षा और उपबंधों के लिए राज्य के क्षेत्र क और ख श्रेणी में समुचित ईएमसी स्थलों का चिन्हांकन करेगी।

9– उन्नयन **ईएसडीएम क्षेत्र को संस्थागत तंत्र** : सचिव, सूचना प्रोद्योगिक विभाग, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक विशिष्ट ईएसडीएम नोडल एजेन्सी गठित करेगी। अभिकरण में उद्योग और सरकार के मुख्य प्रतिनिधि निम्नलिखित कार्य करेंगे–

एक– मुख्य निवेशकर्ताओं के साथ संयोजन सहित विनिवेश उन्नयन और अनुश्रवण;

दो– उत्तराखण्ड ब्रान्ड उन्न्यन के माध्यम से मुख्य भूमण्डलीय सहभागिता और देशों में परिचालन जिससे कि निवेशकर्ता (अमेरिका, यूरोप, जापान, ताईवान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश) और सहयोगकर्ता को समाचार पत्रों और टेलीविजनों के माध्यम से विज्ञापन देकर आमंत्रित किया जाना;

तीन– क्षेत्र को गहराई से समझने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ समिति कार्य करेगी।

10– **ईएसडीएम नीति के अधीन उन्नयन प्रोत्साहन :** ईएसडीएम नीति के अधीन निम्नवत उन्नयन प्रोत्साहन का विवरण एतत्द्वारा उत्तराखण्ड की सरकार द्वारा जिससे ईएसडीएम क्षेत्र में राज्य भारत में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सके और ईएसडीएम में निवेश के लिए प्राथमिक रूप से स्थानों में राज्य का नाम हो, दिया जा रहा है–

क. वरीयता बाजार पहुंच (पीएमए)नीति

एक– उत्तराखण्ड की सरकार, भारत सरकार के पीएमई नीति के साथ संयोजित होकर स्थानीय मूल्यों के विस्तार में प्रकिया संयोजन पर आधारित राजकीय अधिप्राप्ति के लिए राज्य में विनिर्मित इलेक्ट्रानिक स्थानीय उत्पाद को वरीयता देगी।

दो– घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रानिक उत्पाद वो उत्पाद है जो कि उत्तराखण्ड में रजिस्ट्रीकृत और स्थापित कम्पनियों द्वारा विनिर्मित हो और विनिर्माण में सम्बद्ध हो और इसमें संविदा विनिर्माण सम्मिलित है किन्तु व्यापार सम्मिलित नही है।

ख. ईएसडीएम क्षेत्र में अविष्कार और आर तथा डी के लिए ईको पद्धति का सृजनः उत्तराखण्ड दो ईएसडीएम आविष्कार और आर तथा डी केन्द्र स्थापित करेगी जो कि उपक्रमों और कम्पनियों को जो मूल कियाकलाप के उनके उत्पाद की संकल्पना और कियान्वयन को चाहते है, पूर्णरूप से संरचना उपलब्ध कराये। इन केन्द्रों से यंत्रों की डिजाईन की यथा वीएलएसआई डिजाईन यंत्र, मूल भूत विकास सुविधाएं, परीक्षण सुविधाएं, विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं और अपेक्षित मावन शक्ति तथा घटक भण्डार के साथ अनुपालना और प्रमाणन प्रयोगशालाओं की अपेक्षा होगी। ऐसा प्रथम

केन्द्र गोविन्द बल्लभ पन्त, प्रौद्योगिक संस्थान, पन्त नगर के प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पर की जायेगी और तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में स्थापित की जायेगी। ऐसा सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की संस्तुति पर आधारित सचिवों की समिति द्वारा निश्चित किया जायेगा।

ग. **इलेक्ट्रानिक उत्पाद कलस्टर (ईएमसी):** उत्तराखण्ड ईएसडीएम क्षेत्र में विनिवेश को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय संचरना आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। राज्य ऐसे संरचना के विकास में जहां कही व्यवहारिक रूप से ठीक हो, पीपीपी रीति में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढायेगा। राज्य सरकार वर्ष 2025 तक राज्य में ईएमसी तीन के विकास को सहयोग करेगी। काशीपुर में ईएमसी के लिए प्रस्तावित स्थल इनमें से एक है और अन्य दो स्थलों को भी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सिडकुल के परामर्श से चिन्हांकित किया जायेगा। ईएमसी में संरचनात्मक विकास के लिए उत्तराखण्ड की सरकार सहयोग करेगी जो कि कुल संरचनात्मक मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक नही होगा।

घ. **उत्तराखण्ड ब्रान्ड अधिष्ठापन:** सरकार भू–मण्डलीय निवेशक लोगों के लिए किसी आकर्षक ईएसडीएम केन्द्र पर उत्तराखण्ड के बाजार उपलब्ध कराये जायेंगे और ईएसडीएम के लिए उत्तराखण्ड ब्रान्ड को कठोरता से निर्मित किया जायेगा। राज्य, राज्य में सक्रिय निवेशकर्ताओं को सम्पूर्ण विश्व से उच्चतम ईएसडीएम कम्पनियों को सहभागिता के लिए आमंत्रित करेगा।

ड. **शोध उन्नयन:** सरकार पुरस्कार दिये जाने के माध्यम से ईएसडीएम क्षेत्र में शोध का उन्नयन करेगी। ईएसडीएम क्षेत्र में अच्छे आविस्कार को उद्योग और सुप्रतिष्ठित प्रतिनिधियों से गठित सवींक्षा समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

च. **ईएसडीएम में कौशल विकास:**

एक– विश्व में कौशल पूंजी के रूप में भारतीय आरोहण के कम में ग्रामीण और अर्द्धशहरी युवाओं को विशिष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक कौशल विकास युवा को चलाना आवश्यक है।

दो– चरणवद्ध ज्ञान अपेक्षा के कम में वार्षिक क्षमता के साथ उत्तराखण्ड में नये आईटीआई और डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना–नये संस्थान उद्योग कलस्टर, ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों के निकट की सीमा से लगे हुए स्थानों पर होंगे।

तीन– उत्तराखण्ड राज्य रोजगार मिशन के 12वीं पंचवर्षीय योजना को ईएसडीएम क्षेत्र के एक लाख प्रतिष्ठित छात्रों का लक्ष्य।

चार– सभी महत्वपूर्ण संस्थानों में ईएसडीम से सम्बंधित अनुशासन में परास्तातक पाठयकम।

पांच– कम्पनियों और विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त आर और डी प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन।

छः– राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) अभिकरण के अधीन स्थापित किए गये टेलीकॉम कौशल परिषद के साथ उत्तराखण्ड सरकार कार्य करेगी। उपरोक्त परिषद् द्वारा देशभर में टेलीकॉम क्षेत्र में आगामी 6 वर्षों में 5 मिलियन लोगों से अधिक को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

सात– राज्य सरकार राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और लाभ प्रदत्त योजना से लाभ दिलाये जाने के लिए अग्रेतर प्रयासों को लगातार बनाये रखेगा जिसका विषय पर भारत सरकार की ईएसडीएम नीति के अनुसार युवाओ के कौशल विकास को बढाया दिये जाने का उदेश्य है। उत्तराखण्ड की

सरकार ईएसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास पर तत्कालिक डाइट योजना से कौशल विकास के लिए केन्द्रीयक स्वीकृत योजनाओं के भाग में ततप्ररता से कदम उठायेगी।

छ – प्रोत्साहन और सहायिकी का उच्च प्रदर्शन

एक– पेटेंट और आईपीआर के लिए प्रोत्साहन उच्चस्तरीय ईएसडीएम विनिर्माण ज्ञान शक्ति को सृजित करने की अपेक्षा करती है जिसके लिए भारत और उसके साथ ही साथ बाहर भी पेटेंट के रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। यह ऐसी गतिविधि है कि जिसे बढाया जाना आवश्यक है जिससे कि उत्तराखण्ड आईपीआर और ज्ञान आर्थिकी में नेतृत्व प्रदान कर सके जिससे वाणिज्यिक सफलता प्राप्त हो सके। वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड ईएसडीएम कम्पनियों द्वारा ईएसडीएम में 2000 घरेलू और एक हजार अंतराष्ट्रीय पेटेंट प्रस्तुत किये जाने का लक्ष्य रखा है। सरकार वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत तक)जिसमें प्रस्तुतिकरण शुल्क, विधिक शुल्क, सर्च शुल्क, रख रखाव शुल्क सम्मिलित है) घरेलू को पैटेंट करने के लिए अधिकतम रू0 5 लाख तथा अंतराष्ट्रीय को पेटैंट करने के लिए ₹ 10 लाख की प्रतिपूर्ति करेगी। यह प्रतिपूर्ति पैटेंट के प्रस्तुत करने के पश्चात 75 प्रतिशत देय होगी और अवशेष 25 प्रतिशत पेटैंट स्वीकृत होने के पश्चात दी जायेगी। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी जाने वाली पैटेंट प्रस्तुतिकरण प्रोत्साहन भारत सरकार की किसी विद्यमान योजना के अतिरिक्त होगी।

ग्रामीण बीपीओ/केपीओ उद्योग

11– ग्रामीण बीपोओ/केपीओ निम्नवत कारणों से अतिमहत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है–

क. ग्रामीण क्षेत्रों मे गैर कृषि स्थानीय रोजगार के विकल्प का सृजन,

ख. नौकरियां वहा होती है जहां लोग होते है, के स्थान पर लोग जहां जाये वहां नौकरियों हो– सामाजिक ताने–बाने को बनाये रखना, न्यून प्रवर्जन और शहरी दवाब;

ग. घरों की आय में बढोतरी जो कि क्रय शक्ति को बढाती है और ट्रिकिल डाउन प्रभाव के कारण, सृजन, विशिष्ट स्थानीय आर्थिक विकास, सहायक भौगोलिक स्थिति के अनुसार आय बढाने में मदद;

घ. ज्ञान कार्य बल के लिए नौकरियों की पहुंच सृजित करने के द्वारा लिंग अनुपात पर उच्चतर जोर दिया जाना जिससे नौकरियों के लिए साधारणतया (युवतियों) बाहर न जाना;

ड. प्रत्येक वैयक्तिक प्रत्यक्ष रोजगार के लिए न्यूनतम 3–4 से अधिक व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार ऐसी ईकाइयों को उपलब्ध कराने के लिए सहयोग और सामर्थता;

च. मुख्य धारा में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को डिजीटल से जोड़े जाने के लिए मदद करना, आईसीटी के उच्चतर जागरूकता के उन्नयन सेवा आधारित ज्ञान में सहभागिता और सूचना तथा ज्ञान का वृहत्तर उपयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य चुनौतियों (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहयोग इत्यादि) में मदद करना;

छ. बीपीओ सेवाओं में (शहरी क्षेत्रों मे प्रभावी कास्ट नेतृत्व) भू–मण्डलीय नेतृत्व स्तर बनाये रखने के लिए भारत की मदद करना;

ज. राज्य सरकार स्थानीय बीपाओ/केपीओ उद्योगों सरकार बीपीओ/केपीओ व्यापार (जैसे और जहां वह आये) का 25 प्रतिशत आरक्षित रखेगी। प्रतियोगी नीलामी पर एल1 आधार के मूल्य पर सरकारी

अध्याय –3 – प्रोत्साहन

राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक नीति (एनईपी) 2012 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन

1– एम–एसआईपीएस के अधीन वित्तीय प्रोत्साहनः इस योजना पर आधारित इलेक्टानिक उत्पादन विनिर्माण इकाईयां एसईजेड आधारित इकाईयों हेतु पूंजीगत खर्च के 20 प्रतिशत और गैर एसईजेड आधरित इकाईयों के लिए विनिवेश उपस्करों पर एक्साइज/सीबीडी के कुल पूंजीगत खर्च की प्रतिपूर्ति 25 प्रतिशत के लिए दिये जाने वाला प्रोत्साहन इलेक्टानिक उत्पाद विनिर्माण इकाई को इस येाजना के अधीन आधारित होगा ।

2– ग्रीन फिल्ड और ब्राउन फिल्ड ईएमसी के लिए वित्तीय सहायताः

क. भूमि के प्रत्येक 100 एकड़ के लिए ग्रीन फिल्ड ईएमसी हेतु वित्तीय सहायता परियोजना मूल्य के 50 प्रतिशत तक अधिकतम 50 करोड़ आईएनआर तक सीमित होगी,

ख. ब्राउन फिल्ड ईएमसी के विस्तार/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता परियोजना मूल्य के 75 प्रतिशत तक जो कि 50 करोड़ आईएनआर तक सीमित होगी, दी जायेगी।

3– एमएसएमई द्वारा इलेक्टानिक विनिर्माण कलस्टर का विकास

क. ईएमसीएस अथवा ग्रीन फिल्ड या ब्राउन फिल्ड हेतु परीक्षण के व्यय की प्रतिपूर्ति– 2.50 लाख आईएनआर/ कलस्टर,

ख. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परियोजना मूल्य की स्वीकृति धनराशि का 75 प्रतिशत साफट विनिवेश हेतु हुए व्यय की प्रतिपूर्ति 2.5 लाख आईएनआर/कलस्टर तक सीमित होगी,

ग. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति– 5 लाख आईएनआर/कलस्टर।

4– अधिमान्य बाजार पहुंचः घरेलू विनिर्माण इलैक्टानिक उत्पाद हेतु सरकारी अधिप्राप्ति में प्राथमिक बाजार पहुंच पर भारत सरकार की नीति उत्तराखण्ड सरकार के सभी विभागों पर कियान्वित हेागी। उत्तराखण्ड आधारित विनिर्माण को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जायेगी।

5– प्राथमिक बाजार पहुंच

क. घरेलू और बाहरी किसी प्रयोगशाला से पदार्थ परीक्षण को प्राप्त करने के लिए परीक्षण अधिभार की प्रतिपूर्ति एसटीक्यूसी प्रयोगशाला द्वारा अधिरोपित परीक्षण अधिभार की लागू दरों के अनुसार एसटीक्यूसी प्रयोगशाला पर पदार्थ परीक्षण को प्राप्त करने के लिए हुए परीक्षण अधिभार के अध्यधीन होगी। योजना के अधीन अधिकतम प्रतिपूर्ति आईएनआर 75000 तक सीमित होगी।

ख. वास्तविक पर प्रत्येक मॉडल (घेरलू/बाहरी) के किसी संस्था प्रमाणन को भुगतान की जाने वाली वार्षिक सत्यापन शुल्क के साथ 25 प्रतिशत अधिभार की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित के अध्यधीन होगी–

एक– एक माडल के लिए आईएनआर 50000 तक

दो– योजना के अधीन केवल एक बार पात्र प्रत्येक माडल तथा दो प्रमाणन तक।

6– एमएसएमई के लिए भारतीय मानक के साथ अनुपालन से सम्बंधित व्ययों की प्रतिपूर्तिः

क. एसटीक्यूसी प्रयोगशाला द्वारा अधिरोपित परीक्षण के लागू दरों के अनुसार (सर्बिलाइन्स के दौरान

के साथ साथ प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण के लिए) एसटीक्यूसी प्रयोगशाला पर पदार्थ परीक्षण को प्राप्त करने के लिए हुए परीक्षण अधिभार को वास्तविक परीक्षण अधिभार के अध्यधीन प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस योजना के अधीन अधिकतम प्रतिपूर्ति आईएनआर 75000 तक सीमित होगी।

ख. रजिस्टीकण के लिए बीआईएस द्वारा वास्तविक परीक्षण अधिभार की प्रतिपूर्ति अधिकतम आईएनआर 25000 होगी।

7– कौशल विकास

क. इलैक्ट्रानिक क्षेत्र में कौशल विकास को बढाने के लिए युवायों के दृष्टिगत विनिर्माण और सेवा संयोग कृत्यों के कार्यों में रोजगार बढाना,

ख. इलेक्ट्रानिक क्षेत्र कौशल परिसर, टेलीकॉम क्षेत्र कौशल परिसर और एनआईईएलआईटी द्वारा चिहांकित प्रशिक्षित सहायता के लिए प्रशिक्षण शुल्क के लिए 75 प्रतिशत उपलब्ध कराने की योजना,

ग. कुल सीटों की 40 प्रतिशत तक शतप्रतिशत शुल्क प्रतिपूर्ति उपलबध कराने के लिए भी योजना उपलबध है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित किया जा सके,

घ. अग्रतर प्रति अभ्यर्थी रजिस्ट्रीकरण एवं प्रमाणन (केवल प्रथम अवसर के लिए भी मानक /प्रमाणन अभिकरणों को प्रतिपूर्ति की जायेगी)

ड. उत्तराखण्ड के लिए 15 हजार (तीन हजार प्रतिवर्ष का लक्ष्य इस योजना से लाभान्वित करने के लिए नियत किया गया है)

8– आर और डी को बढावा और राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा

क. भारत सरकार ने पांच सालों की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित तीन हजार सुधार्थियों को बढाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ख. इलेक्ट्रानिक उद्योगों में प्राप्ति को मान्य करने, क्षेत्र में ब्यूरो के उददेश्य और निवेश को बढाने और क्षेत्र के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार 3.5 करोड़ से अधिक के बजट के साथ विभिन्न राष्टीय पुरस्कार संरचित किए है।

क्षेत्रों का विभाजन

9– उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के श्रेणियों को उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम ब्यूरो नीति 2015 के अनुसार परिभाषित किया जा चुका है। जहां प्रोत्साहन/सहायिकी की मात्रा के प्रयोजनार्थ चार श्रेणियों में राज्य द्वारा निम्नवत विभक्त किया गया है –

श्रेणी	सम्मिलित क्षेत्र
श्रेणी क	पिथौरागढ, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग और बागेश्वर सम्पूर्ण जिला।
श्रेणी ख	• पौडी गढवाल, टिहरी गढवाल, अल्मोडा सम्पूर्ण जिला। • जिला देहरादून के समस्त पहाड़ी विकास ब्लाक के अतिरक्ति विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर और राजपुर ।

	• जिला नैनीताल के समस्त पहाड़ी ब्लाक हल्द्वानी एंव रामनगर के अतिरिक्त।
श्रेणी ग	• जिला देहरादून के विकास ब्लाकों रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला जो समुद्र तल से 650 मीटर से अधिक क्षेत्रों में स्थित है। • जिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकास ब्लाक।
श्रेणी घ	• हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर का सम्पूर्ण जिला। • जिला देहरादून और नैनीताल के शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'ख' और श्रेणी 'ग' में सम्मिलित नही है)

टिप्पणी– उपरोक्त क्षेत्रों का वर्गीकरण आईसीटी और ई नीति 2016 के लिए समान रहेगी।

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन

वित्तीय प्रोत्साहन

10– राज्य द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन नीचे दिया गया है। नये उद्योग, विद्यमान उद्योग और विस्तारित उद्योग (विद्यमान उद्योग जो क्षमता विस्तार कर रही हो)को यह प्रोत्साहन को लागू करने के लिए नीचे तालिका में भी दर्शाये गये है। यदि कोई विद्यमान कम्पनी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे नही है और सूचना प्रौद्योगिकी का संस्थापन या कोई विद्यामान सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी क्षेत्र में कोई नया कारोबार संस्थापित करना चाहता हो उसे इस नीति के अनुसार नये उद्योग के रूप में समझा जायेगा।

क्र.सं.	प्रस्तावित प्रोत्साहन	नया	विद्यमान	विस्तार
1	पूंजी सहायिकी (उपकरण, संयंत्र और मशीनरी)	✓	×	✓
2	बंदी उपस्कर सहायिकी (विद्युत उत्पादन पद्वति)	✓	×	✓
3	भूमि मूल्य	✓	×	✓
4	स्टाम्प डयूटी छूट	✓	✓	✓
5	कर (मूल्य वर्धित कर) सहायिकी	✓	×	✓
6	ऋण सहायिकी पर ब्याज	✓	×	×
7	विद्युत सहायिकी	✓	✓	✓
8	प्रवाह उपचार संयंत्र (ईटीपी)	✓	×	✓
9	पेंटेंट फिलिंग सहायिकी	✓	✓	✓
10	प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग	✓	✓	✓
11	रोजगार सृजन	✓	✓	✓

12	संयोजिक्ता अधिभार पर राज्य बीपीओ/केपीओ के लिए प्रोत्साहन	✓	×	✓
13	राज्य सरकार हेतु प्रोत्साहन. खरीद/ निविदाएं आईसीटी तथा ई (केवल ऐसी कम्पनियों के लिए जिनके मुख्यालय उत्तराखण्ड में है)	✓	✓	✓
14	मोबाईल टावर की स्थापना	✓	×	×

टिप्पणी– प्रतिशत मेगा औद्योगिक नीति के अनुसार।

11– राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के लिए उपलब्ध कराये जाने वाली विभिन्न प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन का विवरण नीचे तालिका में सूचीबद्ध की गई है।

क.सं.	**सहायिकी**	**श्रेणी क**	**श्रेणी ख**	**श्रेणी ग**	**श्रेणी घ**
1	पूंजी सहायिकी (उपकरण, संयंत्र और मशीनरी)	45 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 45 लाख तक)		35 प्रतिशत (अधिकतम 35 लाख रूपये तक)	
2	बंदी उपकरण सहायिकी (विद्युत उत्पादन पद्धति)	सभी श्रेणियों के लिए 20 प्रतिशत (सोलर, हवा या हाइब्रिड पद्धति जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहायिकी प्रदान की जायेगी)			
3	भूमि लागत सहायिकी	50 प्रतिशत (परियोजना के आकार के निरपेक्ष)		बडी परियोजना (रू0 50–75 करोड़):15 प्रतिशत मेगा परियोजना (रू0 75–200 करोड़):25 प्रतिशत अल्ट्रा मेगा परियोजना (> 200 करोड़):30 प्रतिशत	
4	स्टाम्प शुल्क में छूट	100 प्रतिशत			
5	मूल्य वर्धित कर –दर	पहले पाचं वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और उसके पश्चात 90 प्रतिशत		पहले पाचं वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और उसके पश्चात 60 प्रतिशत	
6	ऋण पर ब्याज सहायिकी	12 प्रतिशत (प्रतिवर्ष प्रति इकाई अधिकतम रूपया 10 लाख)		8 प्रतिशत (प्रतिवर्ष प्रति इकाई अधिकतम रूप्या 6 लाख)	
7	विद्युत सहायिकी (विद्युत अधिभार पर)	पहले पाचं वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और उसके पश्चात् 80 प्रतिशत		पहले दस वर्षों के लिए 50 प्रतिशत और उसके पश्चात शून्य	
8	प्रवाह उपचार संयंत्र	रूपया 50 लाख की किसी सीमा के अध्यधीन ईटीपी के मूल्य के			

	(ईटीपी)	50 प्रतिशत तक एक समय के लिए पूंजी सहायिकी			
9	पेटेंट फाइलिंग	घरेलू पेटेंट – रूपया 5 लाख अतर्राष्ट्रीय पेटेंट – रूपया 10 लाख (केवल ऐसी कम्पनियों के लिए जिनके मुख्यालय उत्तराखण्ड में है)			
10	प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग	वर्षा जल संचय– मूल्य का 50 प्रतिशत (अधिकतम 2 लाख रूपया) अवशिष्ट जल पुनःचक्रण– मूल्य का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रूपया)			
11	रोजगार सृजन	3 वर्ष के लिए (अधिकतम)	2 वर्ष के लिए (अधिकतम)	1 वर्ष के लिए (अधिकतम)	शून्य
11क	टिप्पणी	कर्मचारियों की संख्या के अध्यधीन सीधे कर्मचारियों से विनिर्दिष्ट अधिकतम रूपया 15000 हजार का अधिकतम वेतन आहरित करने वाले पुरूष कर्मचारियों के लिए रूपया 700 प्रतिमाह और महिला /ईडब्लूएस/एससी/एसटी के लिए रूपया 1000 प्रतिमाह			
12	संयोजिक्ता अधिभार पर राज्य बीपीओ/केपीओ के लिए प्रोत्साहन	पहले 3 वर्ष के लिए 50 प्रतिशत	पहले 2 वर्ष के लिए 30 प्रतिशत	शून्य	शून्य
13	राज्य के लिए प्रोत्साहन– आईसीटी और ई प्रौक्यौरमेंट/टेंडर्स (केवल ऐसी कम्पनियों के लिए जिनके मुख्यालय उत्तराखण्ड में है)	10 प्रतिशत मूल्य प्राथमिकता			
14	मोबाईल टावर का संस्थापन	श्रेणी कः सरकारी प्रभार पर 100 प्रतिशत छूॅट श्रेणी खः सरकारी प्रभार पर 50 प्रतिशत छूट			

टिप्पणी– इकाई कर के वास्तविक मामले पर उसके समायोजन के आधार के अध्यधीन त्रैमास के अंत पर जमा किए जाने वाले कुल मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति और प्रथम त्रैमास के लिए कर जमा किया जा सकता है।

गैर वित्तीय प्रोत्साहन

12– राज्य सरकार राज्य में निवेशकों के लिए मित्रवत व्यवहार सृजित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि –

क. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तथा ईएसडीएम उद्योग के लिए भूमि का आवंटन प्राथमिकता से किया जाय,

ख. राज्य में प्रत्येक जिले के लिए नोडल अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ई जिला प्रबंधक/अन्य कोई अधिकारी को नामित/नियुक्त किया जाय,

ग. सूचना प्रौद्योगिकी और ईएसडीएम उद्योगों को नियमित/बाधा मुक्त विद्युत आपूर्ति की जाय,

घ. 24 × 7 बाधा मुक्त विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हरित क्षेत्र और अन्य क्षेत्र दोनों को अतिरिक्त आपूर्ति दिये जाने की बाध्यता की जाय,

ड. राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी और इएसडीएम के लिए ऋण दिये जाने पर विचार किया जाय,

च. सूचना प्रौद्योगिकी और ईएसडीएम उद्योगों के स्थान पर विद्यालय, आवासीय, स्वास्थ्य, मनोरंजन और उससे सम्बंधित सुविधाएं की उच्च स्तरीय सामाजिक संरचना के विकास के लिए विशेष प्रयास किये जाय,

छ. विभिन्न सरकारी विभागों से सरलता से पत्रावलियों का व्यवहरण और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सक्षम प्रशासनिक पद्धति उपलबध करायी जाय,

ज. राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों और नियमावलियों से निरीक्षण/ प्रमाणन से ईएसडीएम इकाईयों को छूट दी जाय।

बुनियादी सुविधाओं का समर्थन

13– राज्य ऐसी उच्च स्तरीय तकनीकी उद्योगों को लाभ के लिए आकर्षित करने का प्रयास करेगी–

क. उद्योग की ताकत शांत और उचित वातावरण है। राज्य यह प्रयास करेगी कि इन उच्च स्तरीय तकनीकी उद्योगों को लाभ के लिए उसकी ताकत को, शांत और उचित वातावरण, शुद्ध जल, प्रतियोगी परिसम्पतियों का मूल्य, योग्य मानव संसाधन, उच्च स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्य, सक्रिय प्रशासन और वायु, पेड़, सड़क और संचार संयोजिक्ता के सुधार के लिए संरचना का विकास करना है,

ख. उत्तराखण्ड राष्टीय राजधानी से वायु, रेल और रोड़ परिवहन से जुडा हुआ है और दो गतिमान हवाई अडडे पंतनगर और देहरादून में, 9 बडे रेलवे स्टेशन और 20 बडे बस स्टेशन उपलब्ध है,

ग. उत्तराखण्ड में समेकित औद्योगिक क्षेत्र, आईटी पार्क और हरिद्वार, पंतनगर, देहरादून इत्यादि उत्तराखण्ड के क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों में केन्द्र उपलब्ध है। देहरादून में विद्यमान आई टी पार्क के अतिरिक्त राज्य सरकार रामनगर/पंतनगर में अतिरिक्त आई0टी0 पार्क की स्थापना करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य में सभी बडे शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी हब और ईएसडीएम हब स्थापित करने का भी प्रस्ताव है,

घ. सरकार सुनियोजित दृष्टिकोण से मात्रात्मक निवेशकर्ताओं की शीघ्रता से पहचान करेगी और उसके कारोबार के विशिष्ट संदर्भ में उत्तराखण्ड के मूल्य को प्रस्तुत करेगी,

ङ. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और ईएसडीएम में स्वयं के विकास के लिए आवश्यक संरचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखण्ड को समग्र उद्योगों का आकर्षित करने के लिए सरकार प्रयास करेगी,

च. सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि नये कारोबार को स्थापित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिक्ता पर सभी कार्यवाहियों को सम्पादित करे,

छ. सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सहभागिताओं के साथ कार्यशाला/ सेमिनार आयोजित करेगी।

अध्याय–4– अनुश्रवण और निष्पादन

1– यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि किसी नीति का सफल होना पूर्ण रूप से उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। यद्यपि यह देखा गया है कि सरकारी अधिष्ठानों में परिवर्तन होते रहते है। अतः यह आवश्यक है कि इस नीति के समग्र क्रियान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु समयबद्धता कर ली जाय। इन लक्ष्यों और मुख्य बिन्दुओं पर नियमित आधार पर पुनर्विलोकन किए जाने की आवश्यकता होगी। इस नीति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही प्रस्तावित है–

क. उत्तराखण्ड राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राज्य के सभी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।

ख. आई टी विभाग, विभागों में ई गवर्नेन्स और विभागों के लिए आईसीटी रोड मैप के सृजन के लिए त्वरित चिन्हांकन को विभागों की बेंन्च मार्किंग करेगा। विभाग का सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ रोड मेप का क्रियान्वयन करेगा।

ग. विभिन्न ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार परियोजना अनुश्रवण इकाई का गठन करेगी जो कि नोडल एजेन्सी के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र साफ्टवेयर विकासकर्ताओं/वेंडर्स/पद्धति समेकन सरकार के विभिन्न विभाग निकटता से कार्य करेंगे।

घ. ई–गवर्नेन्स परियोजना के प्रारम्भ करने के पश्चात विभागीय मुखिया ज्ञान और संस्तुतियों पर पूर्ण रूपेण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ड. किसी प्रारम्भ की स्वीकारिता का स्तर तक पहुचने के लिए सामयिक पर्यवेक्षण किया जायेगा। रणनीतिक विकल्प और क्रियान्वयन में पाठयक्रम संशोधनों के लिए सजग रहने की आवश्यकता होगी।

च. सेवा प्रदान करने वाले नये प्ररूपों के सम्बंध में मूल्य बचत का परीक्षण तथा आंखरी उपभोक्ता को मिलने वाले ऐसी बचत के बारे में सरकार परीक्षण करेगी।

छ. ऑनलाईन व्यवहरण के लिए सामुहिक मीडिया, प्रसार और विशेष प्रोत्साहन सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढाया देने के लिए सरकार वास्तविक कार्य करेगी।

परिशिष्ट क

आईटी उद्योग/विस्तार/आईटी की परिभाषा सहित उद्योगों की श्रेणियां

1. कम्प्यूटर डिवाईस सहितः

   क. डेस्कटॉप

   ख. पर्सनल कम्प्यूटर

   ग. सरवर्स

   घ. वर्क स्टेशन

   ड. नोड्स

   च. टर्मिनल्स

   छ. नेटवर्क पीसी

   ज. होम पीसी

   झ. लेप टॉप कम्प्यूटर,

   ञ. नोट बुक कम्प्यूटर,

   ट. पाल्म टॉप कम्प्यूटर/पीडीए

2. नेटवर्क कंट्रोलर काड्स/ मेमोरिज सहितः

   क. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड,

   ख. एडाप्टर– एथरनेट/पीसीआई/ईआईएसए/काम्बो/पीसीएमआईसीए,

   ग. एसआईएमएमएस– मेमोरी,

   घ. डीआईएमएमएस–मेमोरी,

   ड. सेंट्ल प्रोसेंसिंग यूनिट,

   च. कंट्लर–एससीएसआई/अर्रे,

   छ. प्रोसेसर–प्रोसेसर/प्रोसेसर पॉवर माडयूल/अपग्रेड।

3. स्टोरेज यूनिट सहितः

   क. हार्ड डिस्क डा्इव्स/हार्ड डा्इव्स,

   ख. रेड डा्इव्स तथा उनके कंट्लर,

   ग. सी.डी. रोम डा्इव्स,

   घ. टेप डा्इव्स–डीएलटी डा्इव्स/डीएटी,

   ड. ऑप्टीकल डिस्क डा्इव्स,

च. अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईसेज,

4. अन्यः की बोर्ड, मॉनीटर, माउस और मल्टी मीडिया किट्स।

5. प्रिंटर तथा आउटपुट डिवाइस सहितः

क. डॉट मैट्रिक,

ख. लेजरजेट,

ग. इंकजेट,

घ. डेस्कजेट,

ड. एलईडी प्रिंटर,

च. लाईन प्रिंटर,

छ. एलईडी टीवी,

ज. प्लोटर्स,

झ. पासबुक प्रिंटर

6. नेटवर्क प्रोडक्ट सहितः

क. राउटर्स

ख. स्वीच,

ग. कन्सेनटक्टर्स,

घ. टर्नस रिसीवर्स,

7. साफ्टवेयर सहितः

क. एप्लीकेशन साफ्टवेयर,

ख. ऑपरेटिंग सिस्टम,

ग. मिडिलवेयर/ फर्मवेयर,

घ. एंटी–वाइरस साफ्टवेयर,

8. कम्प्यूटर सिस्टम हेतु पावर सप्लाई सहितः

क. स्वीच मोड पावर सप्पलाई,

ख. यूनिटर्पटेड पावर सप्लाईस,

9. नेटवर्किंग/केबिलिंग तथा सम्बंधित सहायक (आईटी औद्योगिक सम्बंधित)

क. फाईबर केबल,

ख. कॉपर केबल,

ग. केबल,

घ. कनेक्टरर्स, टर्मिनल ब्लाक्स,

ङ. जैक पैनल, पैथ कार्ड,

च. माउंटिंग कोर्ड/वाइरिंग ब्लाक्स,

छ. सरफेस माउण्ट बाक्सेज,

10. उपभोग्य सहितः

क. सीडी रोम/ कम्पेक्ट डिस्क,

ख. टेप्स डीएटी/डीएलटी,

ग. रिबन्स,

घ. टोनर्स,

ङ. इन्जेक्ट कार्टेज,

च. आउटपुट डिवाईस हेतु इंक

11. इलेक्ट्रानिक अवयवः

क. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड/ पापुलेटेड पीसीबी,

ख. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड/पीसीबी,

ग. टांजिस्टर्स,

घ. इंटिग्रेटेड सर्किट्स/आईसीएस,

ङ. डायोड्स/थाईरिस्टर/एलईडी

च. रेसिस्टेर्स,

छ. केपास्टिर्स,

ज. स्वीच/(आन/आफ,पुस बटन,राकर इत्यादि)

झ. प्लग्स/सॉकिट्स/रिलेस,

ञ. मेग्नेटिक हैड्स, प्रिंट हेड्स,

ट. कनैक्टर्स,

ठ. माइक्रोफोन/ स्पीकर,

ड. फ्यूज,

ढ. इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले,

ण. माइक्रो मोटर्स,

त. टॉसफार्मर,

थ. मेजर आईओटी कन्सीटयूेन्ट लाइक सेंसर, टॉसडयूसर और एक्यूटेअर,

द. बायो मैट्रिक प्रणाली, आरएफआईडीएस इत्यादि,

ध. एलईडी लाईट

12. दूर संचार उपकरणों में –

क. टेलीफोन,

ख. विडियोफोन,

ग. फेसिमाईल मशीन/फैक्स कार्ड

घ. टेली प्रिंटर/टेलेक्स मशीन,

ड. पीएबी एक्स/ ईपीए बी एक्स/ आर ए एक्स/एमएएक्स–टेलीफोन एक्सेचेंज,

च. मल्टीपलैक्सेस/ न्यूकसेज,

छ. मोडेम,

ज. टेलीफोन उत्तरीत मशीन,

झ. टेली कॅम्न्यूकेशन स्वीचिंग एपाटस,

ञ. ऐंटीना और मास्ट

ट. बायरलेस डाटा कॉम उपकरण,

ठ. प्राप्तकर्ता उपकरण जैसे पेजक, मोबाईल/ सेलूलर फोन इत्यादि,

ड. वीसैट

ढ. वीडियो कॉन्फ्रेसिंग उपकरण,

ण. वीडियो और डिजिटल सिग्नेलिंग दोनों के लिए सेट टाप बाक्स सहित,

त. मोबाईल फोन और उसके सहायक।

13. उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक और उपकरण

14. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं

क. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं वाणिज्यिक प्रकिया तथा सेवाएं, उत्पाद/सेवाएं निम्नलिखित है–

एक–भारत से बाहर वितरित,

दो– संचार नेटवर्क से वितरित

तीन–या तो वाहय संविदात्मक (वाहय स्रोत) या उसी कम्पनी (वाहय अवस्थित) के किसी ग्रामीण सहायक द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

ख. सेवाएं जिन्हें सम्मिलित नही किया जायेगा है–

एक– ग्रामीण उत्पादन/विनिर्माण इकाई,

दो– कम्पनी के निर्मित कार्यालय या उसकी स्थानीय शाखाएं,

तीन– इंटरनेट पर वास्तविक व्यापार,

ग– निम्नलिखित सेवाएं जिनमें उपर्युक्त प्रक्रियाएं सम्मिलित होगी–

एक– बैंक कार्यालय संचालन,

दो– कॉल केन्द्र/वीपीओ केन्द्र,

तीन– विकास विवरण या एनीमेशन

चार– डाटा प्रक्रिया,

पांच– अभियांत्रिकी और आरेखण

छः– भूगर्भीय सूचना पद्धति सेवाएं

सात– मानव संशाधन सेवाएं

आठ– बीमा दावा प्रक्रिया,

नौ– विधिक डाटा बेस,

दस– चिकित्सीय प्रतिलिपि,

ग्यारह– पैरोल,

बारह– ग्रामीण अनुरक्षण,

तेरह– राजस्व लेखा,

चौदह– सहयोगी केन्द्र, और

पन्द्रह– बेवसाइट सेवाएं।